राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :– 12/2017
तारीख दायरा :– 6.04.2017
निर्णय दिनांक :– 17.08.2020

वादीगण :–

1. हनुमान सिंह पुत्र गुणेशसिंह जी
2. सोहनसिंह पुत्र गुणेशसिंह जी
3. कान्तिलाल पुत्र गुणेशसिंह जी
   जातिगण–पुरोहित निवासीगण–मादा तहसील–देसूरी जिला–पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. देवीसिंह पुत्र मोहनसिंहजी जाति–पुरोहित
2. राजुसिंह पुत्र प्रेमसिंह जी जाति–पुरोहित
3. मांगीलाल पुत्र प्रेमसिंह जी जाति–पुरोहित
4. वरदीसिंह पुत्र भोपालसिंह जी जाति–पुरोहित
5. बाबुसिंह पुत्र भोपालसिंह जी जाति–पुरोहित
6. गीता पुत्री भोपालसिंह जी जाति–पुरोहित
7. कमला पुत्री भोपालसिंह जी जाति–पुरोहित
8. शंकरसिंह पुत्र चिमनसिंह जी जाति–पुरोहित
9. नरपतसिंह पुत्र चिमनसिंह जी जाति–पुरोहित
10. मथरा पत्नी दानारामजी जाति–देवासी
    निवासीगण–मादा तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज)
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:–

1. श्री दिनेश कुमार माली अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 की विरू[illegible]षय।
3. तहसीलदार पैरोकार स[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज नम्बर 02 पर...

निर्णय (अन्तिम डिक्री) **दिनांकः— 17.08.2020**

वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम मादा तहसील देसूरी की सीमा क्षेत्र के खसरा नम्बर 800 रकबा 0.94 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल लगान 6.58 रूपये की विद्यमान है। जिसका इन्द्राज वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 के खाता संख्या 555 में है। विवादग्रस्त आराजी पूर्व में खातेदार नाहरसिंह, भोपालसिंह, चिमनसिंह पुत्रगण गिरधारीसिंह के संयुक्त खातेदारी की बहिस्सा बराबर—बराबर विद्यमान होने से वादीगण नाहरसिंह का वैध वारिस एवं उत्तराधिकारी होने एवं नेनसिंह, पुखराजसिंह पुत्र गण नाहरसिंहजी द्वारा वादीगण के पिता गुणेशसिंह के पक्ष में दिनांक 15.03.2004 को हक त्याग विलेख निष्पादित करने से विवादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से के हक अधिकार वादीगण में हिहित है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को 1/3 हिस्से के सहखातेदारी हक अधिकार भोपालसिंहजी का वारिस होने से निहित है। तथा 1/3 हिस्से के सहखातेदारी हक अधिकार चिमनसिंहजी का वारिस होने से प्रतिवादी संख्या 8, 9 एवं चुन्नीलाल को निहित हुए है। चुन्नीलाल द्वारा अपने खातेदारी हक अधिकार प्रतिवादी संख्या 10 को बेचान करने से प्रतिवादी संख्या 8 से 10 को संयुक्त 1/3 हिस्से के खातेदारी हक अधिकार निहित है। जिस अनुरूप खातेदारी हिस्सो की घोषणा करते हुए वादग्रस्त आराजी का बाई—मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा गया ।

प्रकरण हाजा में दिनांक 15.11.2018 को न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस आशा की जारी की गई कि वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम मादा तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 800 कुल रकबा 0.94 हेक्टर लगान 6.58 रूपये कृषि भूमि में वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 को संयुक्त 1/3 हिस्से का खातेदार एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 से 10 को संयुक्त 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। पद संख्या 3 में वर्णित अनुसार नजरी नक्शा में दर्शित पक्षकारान का अलग—अलग कब्जा काश्त अनुसार बहिस्सा बराबर बराबर वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। पक्षकरान के आवागमन हेतु नियमानुसार रास्ता रखा जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार देसूरी को प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति भेजकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा करने हेतु लिखा जावे। बंटवाडा प्रस्ताव के साथ नजरी [illegible] मंगवाया जावे। नजरी नक्शा तीन प्रतियो मे मंगवाया जावे तथा नक्शा में अलग—2 [illegible] वादी का खाता, लगान रकबा अलग—2 किया जाकर प्रस्ताव [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:50 IST
Reason: Self Attested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

तहसीलदारजी, देसूरी पत्राक/राजस्व/19/1148 दिनांक 11.11.2019 तथा 17.08.2020 के द्वारा प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव रिर्पोट मय नक्शा के प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई। बंटवाडा प्रस्ताव के संबंध मे पक्षकारान की तरफ से कोई आपत्ति एतराज प्रस्तुत नही हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बंटवाडा प्रस्ताव रिर्पोट का अवलोकन किया। नामान्तरणकरण संख्या 992 दिनांक 11.05.2017 बेचान होने से नरपतसिंह पुत्र जीवनसिंह के स्थान पर मधु पत्नी अशोकसिंह का नाम दर्ज हुआ। माफीक बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार वाद अंतिम डिक्री योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम मादा तहसील देसूरी की सीमा क्षेत्र के खसरा नम्बर 800 रकबा 0.94 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल लगान 6.58 रूपये का माफीक तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत बटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंग्न नक्शानुसार वाद में अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार सादिर की जाती हैः–

क. स	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर में	किस्म भूमि	लगान
1	शंकर सिंह पुत्र चिमनसिंह पुरोहित हिस्सा–1/30, मधु पत्नी अशोकसिंह पुरोहित हिस्सा–1/30, मथरा पत्नी दानारामजी देवासी हिस्सा–1/30	800	0.3133 हैक्टर	बा.दो	2.1931
2	हनुमानसिंह पुत्र गुणेशसिंह पुरोहित हिस्सा–1/15, सोहनसिंह पुत्र गुणेशसिंह पुरोहित हिस्सा–1/15, कान्तिलाल पुत्र गुणेशसिंह पुरोहित हिस्सा–1/15	800/1	0.3133 हैक्टर	बा.दो	2.1931
3	देवीविंह पुत्र मोहनसिंह पुरोहित हिस्सा–1/5, राजुसिंह पुत्र प्रेमसिंह पुरोहित हिस्सा–1/10, मांगीलाल पुत्र प्रेमसिंह पुरोहित हिस्सा–1/10, कमला पुत्री भोपालसिंह पुरोहित हिस्सा–1/20, वरदीसिंह पुत्र भोपालसिंह पुरोहित हिस्सा–1/20, गीता पुत्री भोपालसिंह पुरोहित हिस्सा–1/20, बाबुसिंह पुत्र भोपालसिंह पुरोहित हिस्सा–1/20,	800/2	0.3133 हैक्टर	बा.दो	2.1931
	योग	3	0.9400 हैक्टर		6.58 रूपये

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमश पेज (4) राजस्व वाद मु0सं0– 12/2017 वादीगण हनुमानसिंह व अन्य बनाम प्रतिवादीगण देवीसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा–53, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी.

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शें में तरमीम किया जावें। वादी के बंट हिस्सा व कब्जे में दखलदांजी करने से रोकने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस निर्णय एवं डिक्री का भाग माना जावें। कुल लगान राशि 2.1931 रूपयें का पांच गुना पर देय मुद्रांक के बतौर रूपयें 24.12/– के नोन ज्यूडिश्यल स्टाम्प वादी पेश करें। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु निर्णय एवं अंतिम डिक्री पर्चा की एक प्रति तहसीलदार देसूरी को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फेसल शुमार होकर संख्या से कम हों।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 17.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(एस डी. ओ.) सहायक कलेक्टर देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:50 IST
Reason: SelfAttested

वाद में फाईनल डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)

इजलास श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत आर ए एस

वादीगण ब ना म	**प्रतिवादीगण**
1. हनुमान सिंह पुत्र गुणेशसिंह जी 2. सोहनसिंह पुत्र गुणेशसिंह जी 3. कान्तिलाल पुत्र गुणेशसिंह जी जातिगण–पुरोहित निवासीगण–मादा तहसील–देसूरी जिला–पाली	1. देवीसिंह पुत्र मोहनसिंहजी जाति–पुरोहित 2. राजुसिंह पुत्र प्रेमसिंह जी जाति–पुरोहित 3. मांगीलाल पुत्र प्रेमसिंह जी जाति–पुरोहित 4. वरदीसिंह पुत्र भोपालसिंह जी जाति–पुरोहित 5. बाबुसिंह पुत्र भोपालसिंह जी जाति–पुरोहित 6. गीता पुत्री भोपालसिंह जी जाति–पुरोहित 7. कमला पुत्री भोपालसिंह जी जाति–पुरोहित 8. शंकरसिंह पुत्र चिमनसिंह जी जाति–पुरोहित 9. नरपतसिंह पुत्र चिमनसिंह जी जाति–पुरोहित 10. मथरा पत्नी दानारामजी जाति–देवासी निवासीगण–मादा तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज) 11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी

दावा बाबत 53, 89, 188, **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

मुकदमा नम्बर :– 12/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इसफिसल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादीगण श्री दिनेश कुमार माली मुदई .... मिनजाविब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम मादा तहसील देसूरी की सीमा क्षेत्र के खसरा नम्बर 800 रकबा 0.94 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल लगान 6.58 रूपये का माफीक तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत बटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंग्न नक्शानुसार वाद में अन्तिम डिकी निम्न प्रकार सादिर की जाती है:–

क. स	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर में	किस्म भूमि	लगान
1	शंकर सिंह पुत्र चिमनसिंह पुरोहित हिस्सा–1/30, मधु पत्नी अशोकसिंह पुरोहित हिस्सा–1/30, मथरा पत्नी दानारामजी देवासी हिस्सा–1/30	800	0.3133 हैक्टर	बा.दो	2.1931
2	हनुमानसिंह पुत्र गुणेशसिंह पुरोहित हिस्सा–1/15, सोहनसिंह पुत्र गुणेशसिंह पुरोहित हिस्सा–1/15, कान्तिलाल पुत्र गुणेशसिंह पुरोहित हिस्सा–1/15	800/1	0.3133 हैक्टर	बा.दो	2.1931

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:50 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

3	देवीविंह पुत्र मोहनसिंह पुरोहित हिस्सा–1/5, राजुसिंह पुत्र प्रेमसिंह पुरोहित हिस्सा–1/10, मांगीलाल पुत्र प्रेमसिंह पुरोहित हिस्सा–1/10, कमला पुत्री भोपालसिंह पुरोहित हिस्सा–1/20, वरदीसिंह पुत्र भोपालसिंह पुरोहित हिस्सा–1/20, गीता पुत्री भोपालसिंह पुरोहित हिस्सा–1/20, बाबुसिंह पुत्र भोपालसिंह पुरोहित हिस्सा–1/20,	800/2	0.3133 हैक्टर	बा.दो	2.1931
	योग	3	0.9400 हैक्टर		6.58 रूपये

उपरोक्तानुसार तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को डिक्री का भाग माना जावें। तद्नुसार तहसीलदार देसूरी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शें में तरमीम करावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **17** माह **अगस्त** सन् **2020** को जारी किया गया।

मोहर

(कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली))

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायना	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहन फीस गवाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मिजान			स्टाम्प अर्जी स्टाम्प वकालत नामा महनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मुतफरिक मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by RajLaxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:50 IST
Reason: SelfAttested